

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: /ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/2018-19

दिनांक: 28 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 003 Uttarkashi_Barkot_Barkot_0.301ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सह0ई0नीला0/2017-18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 5.00 है0 तक के क्षेत्रफल के कुल 85 खनन लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु जारी संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम बडकोट, क्षेत्रफल 0.301 हैक्टेयर रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 8250 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 4125 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 16.03.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 07 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 16.03.2018 को घोषित किया गया, जिसमें उक्त 07 निविदाकारों की तकनीकी निविदा को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 19.03.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री सुरेश सिंह पंवार	33185 M171223161608397	8,250 टन
2	श्री मोहित सिंह राणा	33350 M180101151950173	8,250 टन
3	श्री खुशाल सिंह जयाडा	34298 M180220150316153	8,250 टन
4	श्री शीशपाल सिंह	34304 M180309160751233	8,250 टन
5	श्री राजवीर सिंह	34322 M180309161547413	8,250 टन
6	श्री गिरीश कुमा उप्पल	34328 M180309163908613	8,250 टन
7	श्री दिनेश नेगी	34399 M180220150335147	8,250 टन

जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम बडकोट, क्षेत्रफल 0.301 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 8,250 टन प्राप्त हुई।

जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम बडकोट, क्षेत्रफल 0.301 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 8,250 x 35.00 = ₹ 2,88,750.00 (₹ दो लाख अठासी हजार सात सौ पचास मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 59/ई0निवि0सह0ई0नीला0/परिणाम/प्र0च0/उत्तरकाशी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम बडकोट, क्षेत्रफल 0.301 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर

प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹ 2,88,750.00 (₹ दो लाख अठासी हजार सात सौ पचास मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 003_Uttarkashi_Barkot_Barkot_0.301ha/ भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0 नीला0/2017-18, दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2018 सायं 5.00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी 07 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 24/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र०सं०	बिडर मास्कड आई०डी०	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू ₹०
1.	20181305112450	12 अप्रैल, 2018 सायं 04:36 बजे	1466238.00
2.	20181305112534	12 अप्रैल, 2018 सायं 04:15 बजे	1033338.00
3.	20181305112525	12 अप्रैल, 2018 सायं 04:56 बजे	2538387.00
4.	20181305112573	12 अप्रैल, 2018 अपराह्न 02:34 बजे	669702.00
5.	20181305112577	12 अप्रैल, 2018 सायं 05:53 बजे	16900566.00
6.	20181305112576	12 अप्रैल, 2018 सायं 05:43 बजे	16056411.00
7.	20181305112586	12 अप्रैल, 2018 सायं 05:54 बजे	17101143.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 07 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली ₹ 1,71,01,143.00 (₹ एक करोड़ इकहत्तर लाख एक हजार एक सौ तैतालीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई०डी० हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई०डी०/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं०)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू ₹०	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181305112586/ Dinesh Negi (M180220150335147)	12 अप्रैल, 2018 सायं 05:54 बजे	17101143.00	H1
2	20181305112577/ Rajveer (M180309161547413)	12 अप्रैल, 2018 सायं 05:53 बजे	16900566.00	H2
3	20181305112576/ Shishpal Singh Rawat (M180309160751233)	12 अप्रैल, 2018 सायं 05:43 बजे	16056411.00	H3
4	20181305112525/ Suresh Singh Panwar (M180222112000650)	12 अप्रैल, 2018 सायं 04:56 बजे	2538387.00	H4
5	20181305112450/ Khushal Singh Jyara (M180220150316153)	12 अप्रैल, 2018 सायं 04:36 बजे	1466238.00	H5
6	20181305112534/ Mohit Singh Rana (M180101151950173)	12 अप्रैल, 2018 सायं 04:15 बजे	1033338.00	H6

7	20181305112573/ Gireesh Kumar Uppal (M180309163908613)	12 अप्रैल, 2018 अपराह्न 02:34 बजे	669702.00	H7
---	---	--------------------------------------	-----------	----

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 घोषित किया गया।

9- कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 द्वारा श्री दिनेश नेगी (M180220150335147) को जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम बडकोट, क्षेत्रफल 0.301 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 8,250 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा निविदित उच्चतम ई-नीलामी बोली धनराशि कुल ₹0 1,71,01,143.00 (₹0 एक करोड़ इकहत्तर लाख एक हजार एक सौ तिरालीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे "सफल बोलीदाता धनराशि" के सापेक्ष उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि ₹0 17,10,114.00 (₹0 सत्रह लाख दस हजार एक सौ चौदह मात्र) 03 कार्य दिवस के अन्तर्गत एवं नियमावली के नियम 28ख उपनियम 3 के अनुसार "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" धनराशि उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि ₹0 17,10,114.00 (₹0 सत्रह लाख दस हजार एक सौ चौदह मात्र) 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

11- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिश (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अत्यावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

अवगत कराना है कि H1 श्री दिनेश नेगी के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों का निर्धारित समयान्तर्गत अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 196/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 के द्वारा H1 श्री दिनेश नेगी को असफल ई-बोलीदाता घोषित करते हुए उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक- टी0डी0आर0 संख्या-37582766830, दिनांक 09.03.2018, ₹0 72,188/- (₹0 बहत्तर हजार एक सौ अठासी मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करने के आदेश पारित किये गये तथा उक्त नियम के अधीन कोटिक्रम के H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजवीर को उसकी बोली ₹0 16,90,056.00 (₹0 एक करोड़ उनहत्तर लाख पांच सौ छियासठ) के मूल्य का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" के सापेक्ष उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि ₹0 16,90,056.60 अर्थात् 16,90,057.00 (₹0 सोलह लाख नब्बे हजार सत्तावन मात्र) 03 कार्य दिवस के अन्तर्गत एवं नियमावली के नियम 28ख उपनियम 3 के अनुसार तथा "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि ₹0 16,90,056.60 अर्थात् 16,90,057.00 (₹0 सोलह लाख नब्बे हजार सत्तावन मात्र) 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजवीर द्वारा भी कार्यालय ज्ञाप संख्या

196/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई, के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(2) के अधीन H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजवीर को भी असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए कोटिक्रम में H3 ई-नीलामी बोलीदाता को "सफल बोलीदाता धनराशि" तथा "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 में श्री शीशपाल सिंह रावत अधिकतम ई-नीलामी बोली रू0 1,60,56,411.00 (रुपये एक करोड साठ लाख छप्पन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) के सापेक्ष H3 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 109/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा श्री दिनेश नेगी H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 1,71,01,143.00 (रू0 एक करोड इकहत्तर लाख एक हजार एक सौ तिरालीस मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 17,10,114.00 (रू0 सत्रह लाख दस हजार एक सौ चौदह मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 17,10,114.00 (रू0 सत्रह लाख दस हजार एक सौ चौदह मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री दिनेश नेगी H1 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री दिनेश नेगी H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी टी0डी0आर0 सं0-37582766830 दिनांक 09.03.2018 रू0 72,188/- (रुपये बहत्तर हजार एक सौ अठासी मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 196/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 के क्रम में श्री राजवीर H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 1,69,00,566.00 (रू0 एक करोड उनहत्तर लाख पांच सौ छियासठ मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 16,90,056.60 अर्थात 16,90,057.00 (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार सत्तावन मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 16,90,056.60 अर्थात 16,90,057.00 (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार सत्तावन मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री राजवीर H2 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री राजवीर H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा यूको बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-995093 दिनांक 05.03.2018 रू0 72,100/- को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री शीशपाल सिंह रावत को उनकी उच्चतम बोली मूल्य रू0 1,60,56,411.00 (रुपये एक करोड साठ लाख छप्पन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 16,05,641.00 (रू0 सोलह लाख पांच हजार छः सौ इक्तालीस मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 16,05,641.00 (रू0 सोलह लाख पांच हजार छः सौ इक्तालीस मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानानुसार निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 196/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 के क्रम में श्री राजवीर H2 बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम बोली रू0 1,69,00,566.00 (रू0 एक करोड उनहत्तर लाख पांच सौ छियासठ मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 16,90,056.60 अर्थात 16,90,057.00 (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार सत्तावन मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 16,90,056.60 अर्थात 16,90,057.00 (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार सत्तावन मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के अधीन श्री राजवीर H2 निविदादाता को एतद्वारा असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा उनके द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी यूको बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-995093 दिनांक 05.03.2018 रू0 72,100/- (रुपये बहत्तर हजार एक सौ मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री शीशपाल सिंह रावत (M180309160751233) अधिकतम बोली रू0 1,60,56,411.00 (रुपये एक करोड साठ लाख छप्पन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) को सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा

तदनुसार श्री शीशपाल सिंह रावत को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगे:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 1,60,56,411.00 (रूपये एक करोड़ साठ लाख छप्पन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 16,05,641.00 (रू0 सोलह लाख पांच हजार छः सौ इक्तालीस मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 1,60,56,411.00 (रूपये एक करोड़ साठ लाख छप्पन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 16,05,641.00 (रू0 सोलह लाख पांच हजार छः सौ इक्तालीस मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रोत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H3 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 1,60,56,411.00 (रूपये एक करोड़ साठ लाख छप्पन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 16,05,641.00 (रू0 सोलह लाख पांच हजार छः सौ इक्तालीस मात्र) 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी यूको बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-995094, दिनांक 05.03.2018 रू0 72,188/- को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रक्रिया H7 कोटिक्रम के ई-नीलामी बोलीदाता तक व्यवहारित की जायेगी।

अतः श्री शीशपाल सिंह रावत H3 ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक
कृते-निदेशक

संख्या: 273/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी।
4. श्री शीशपाल सिंह रावत पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी- ग्राम कुनारा पट्टी सिंगतूर, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी।
5. श्री राजवीर पुत्र श्री सुर्या व सुरजनू, निवासी- ध्यौरा लग्गा सुनाली, पुरोला, जनपद उत्तरकाशी।
6. सूचना पट्ट, जिलाधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी/मुख्यालय देहरादून एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी हेतु।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक
कृते-निदेशक